प्रारुप–5

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 0.500 कि0मी0)।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर पृष्ठ सं0 8-10 पर संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

(8)

संख्या– [illegible] /III(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 21 जून, 2019

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 08 कार्यों के आगणनों, जिनकी लम्बाई 28.50 किमी0 तथा कुल लागत रू0 176.84 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 176.84 लाख (रू0 एक करोड़ छियत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु प्रति कार्य रू0 0.10 लाख अर्थात 08 कार्यों हेतु रू0 0.80 लाख (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)– उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में प्रथमावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–04 सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
कीर्तिनगर (टि0 गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
श्रीनगर–मु0 कीर्तिनगर टि0 ग0

शासनादेश संख्या–.../ III(2)/ 19–10(एम०एल०ए०)/ 2017टीसी। दिनांक ... जून 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रिंगोली मल्ली से डाग–हलप्राखा– कल्याणी–किमखार–ओखली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	25.26	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जखोटी से कुरौली होते हुए जाली (किमखोला) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	47.25	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पलेठी (डोभलियालों की) स्थित शिवालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	28.17	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के अन्तर्गत कक्कड़ पाली से बागा पानी होते हुए लूसी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	14.87	0.10
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गडड़ में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.50	31.34	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डाब के उपग्राम पाटियों हेतु गोमुख से मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.00	3.38	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत सिलेडी–मणजूली मोटर मार्ग के कि०मी० 6 है०मी० 2.4 से चौरीखाल–सिरवालडी–काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	13.04	0.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में जैधार बैण्ड से माछनी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	13.53	0.10
	योग–	28.50	176.84	0.80

(कुल रू० अस्सी हजार मात्र)

फोटो प्रति हस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

(जीवन सिंह)
उप सचिव

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
अ०खं० लो०नि०वि०
देवप्रयाग

-2-

(x)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(xi)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में नियर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 124/XXVII/(2)/2019 दिनांक 19 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-2271/।।(2)/19-10(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0। तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0

छाया प्रति सत्यापित